न्यायालय उप जिलाधिकारी/असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रथम श्रेणी बख्शी का तालाब, लखनऊ

हर्षा जन सेवा बनाम उ0प्र0 सरकार
वाद संख्या-टी0-201714141325572
धारा-143 ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0
ग्राम -बनगाँव परगना महोना

निर्णय

प्रस्तुत वाद कार्यवाही हर्षा जन सेवा संस्थान द्वारा अध्यक्ष श्री हारून खान व सचिव/प्रबन्धक श्री शहजाद अली सिद्दीकी कार्यालय 1/82, सेक्टर-सी प्रिदर्शनी योजना सीतापुर रोड लखनऊ के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रारम्भ की गयी जिसमें कहा गया है कि खतौनी फसली 1420 से 1425 की खाता संख्या 00213 की गाटा संख्या 349 रकबा 0.337 हे0 व खाता संख्या 00213 की गाटा संख्या 350 रकबा 0.013 हे0 स्थित ग्राम -बनगाँव परगना महोना बख्शी का तालाब, जिला लखनऊ पर हर्षा जन सेवा संस्थान निबन्ध संख्या-2945 2008-2009 कार्यालय 1/82, सेक्टर-सी, प्रियदर्शनी योजना सीतापुर रोड लखनऊ द्वारा अध्यक्ष श्री हारून खान व सचिव/प्रबन्धक श्री शहजाद अली सिद्दीकी कार्यालय 1/82, सेक्टर-सी, प्रियदर्शनी योजना सीतापुर रोड लखनऊ जरिये बैनामा संक्रमणीय दानग्रहीता भूमिधर के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि को कृषि बागवानी कुक्कुटपालन व मत्स्यपालन आदि से भिन्न आकृषिक प्रयोजन हेतु प्रयोग किया जा रहा है उक्त भूमि पर वर्तमान समय में कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। ऐसी दशा में उक्त भूमि का प्रख्यापन कृषि प्रयोग से भिन्न अकृषिक प्रयोजन हेतु प्रखपित किया जाना अति आवश्यक है। क्योंकि प्रार्थी/वादी द्वारा उक्त भूमि का आकृषिक उपयोग किया जा रहा है। उपरोक्त आराजी के आस-पास कई निर्माण स्थित है तथा आवासीय गतिविधियाँ है, उपरोक्त भूमि में वर्तमान समय में कोई कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। उपरोक्त भूमि को कृषि बागवानी कुक्कुटपालन व मत्स्यपालन आदि से भिन्न आकृषिक घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि ग्राम -बनगाँव परगना महोना तहसील बख्शी का तालाब, जिला लखनऊ की खतौनी फसली 1420 से 1425 की खाता संख्या 00213 की गाटा संख्या 349 रकबा 0.337 हे0 व खाता संख्या 00213 की गाटा संख्या 350 रकबा 0.013 हे0 को कृषि प्रयोजन से भिन्न आकृषिक प्रयोजन हेतु प्रख्यापित करने की कृपा करें।

संलग्न प्रार्थना पत्र की प्राविधानों के अन्तर्गत तहसील से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदारन द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया गया है। कि भूमि खाता संख्या 00213 की गाटा संख्या 349 रकबा 0.337 हे0 व खाता संख्या 00213 की गाटा संख्या 350 रकबा 0.013 हे0 स्थित ग्राम -बनगाँव परगना महोना तहसील बख्शी का तालाब, जिला लखनऊ पर हर्षा जन सेवा संस्थान द्वारा अध्यक्ष श्री हारून खान व सचिव/प्रबन्धक श्री शहजाद अली सिद्दीकी कार्यालय 1/82, सेक्टर-सी, प्रियदर्शनी योजना सीतापुर रोड लखनऊ का नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। उपरोक्त भूमि की पैमाइश धारा 143 के नियम 135 (6) के अन्तर्गत मु0 500/- राजकीय कोष में जमा कराये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें। अतः भूमि खाता-00213 की गाटा संख्या 344 रकबा 0.684 हे0 स्थित ग्राम -बनगाँव को धारा-143 उ0प्र0 जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत गैरकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति कर प्रेषित की है।

नियमानुसार लखनऊ विकास प्राधिरण लखनऊ/सरकार एवं विपक्षीगण को नोटिस जारी की गयी जो वाद तामील संलग्न पत्रावली है। लखनऊ विकास प्राधिरण लखनऊ की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है और न ही उनके द्वारा कोई आपत्ति दाखिल की गयी है।

पत्रावली तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों एवं तहसीलदार, बख्शी का तालाब की आख्या का अवलोकन किया गया। तहसीलदार की आख्या से स्पष्ट है कि ग्राम -बनगाँव परगना महोना तहसील बख्शी का तालाब,

जिला लखनऊ की खतौनी फसली 1420 से 1425 की खाता संख्या 00213 की गाटा संख्या 349 रकबा 0.337 हे0 व खाता संख्या 00213 की गाटा संख्या 350 रकबा 0.013 हे0 स्थित ग्राम वनगांव पर आवेदक का नाम सं0भ0 के रूप में अंकित है। प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा साक्ष्य के तौर पर फोटोग्राफ प्रस्तुत किये गये है जो स्थानीय लेखपाल द्वारा सत्यापित है। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि खाता संख्या 00213 की गाटा संख्या 349 रकबा 0.337 हे0 व खाता संख्या 00213 की गाटा संख्या 350 रकबा 0.013 हे0 स्थित ग्राम वनगांव को धारा 143 जमींदारी विनाश एवं भू0व्य0अधि0 के अन्तर्गत प्रख्यापन किया जाना उचित एवं विधिसंगत प्रतीत होता है परन्तु भू-उपयोगिता की विधिमान्यता के सम्बन्ध में लखनऊ महायोजना-2021 के उपबन्ध प्रभावी होंगे, जिसका सम्बन्ध लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं शहरी नियोजन विभाग से है।

आदेश

ग्राम -बनगाँव परगना महोना बख्शी का तालाब, जिला लखनऊ खतौनी फसली 1420 से 1425 की खाता संख्या 00213 की गाटा संख्या 349 रकबा 0.337 हे0 व खाता संख्या 00213 की गाटा संख्या 350 रकबा 0.013 हे0 स्थित ग्राम वनगांव मालगुजारी 60 ख से मुक्त करते हुये प्रश्नगत भूमि कृषि मत्स्यालन, कुक्कुटपालन, बागवनी आदि से भिनन प्रयोजन में उपयोग किये जाने के कारण धारा 143 जमीदारी विनाश एवं भू0व्य0अधि0 के अन्तर्गत इस शर्त के साथ आकृषिक प्राख्यापित की जाती है कि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन बागवानी आदि कृषि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है। तो धारा 144 ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0 के अन्तर्गत तत्काल तहसीलदार अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार बी0के0टी0 को खतौनी में तद्नुसार प्रविष्ट हेतु प्रेषित हो तथा एक सम्बन्धित सब रजिस्ट्रार के माध्यम से इस निर्देश के साथ प्रेषित की इसे निबन्धित कर इस आशय का अनुलेख लिपिबद्ध करने के बाद निबन्धन का दिनांक मिसिलबन्द रजिस्टर संख्या अपने हस्ताक्षर सहित प्रेषित करें। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उप जिलाधिकारी/असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रथम श्रेणी
बी0के0टी0, लखनऊ

निर्णय दिनांक 29/11/2017 को खुले न्यायालय में उद्घोषित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

उप जिलाधिकारी/असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रथम श्रेणी
बी0के0टी0, लखनऊ
को खुले न्यायालय में उद्घोषित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

प्रार्थना पत्र देने की तिथि: 27-01-2018
प्रा० पत्र तैयार करने की तिथि: 28-01-2018
प्रतिलिपि निर्गत की तिथि: 28-01-2018
प्रतिलिपि शुल्क: 700
शब्दों की संख्या: 570 शब्द

प्रतिलिपि कर्ता :
तुलना कर्ता :
दिनांक : 28-01-2018

प्रमाणित प्रतिलिपि
28/01/2018
एस0डी0आ0 / एस0डी0एम0
बक्शी का तालाब, लखनऊ